

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एसीपी/ए-36/2018/

दिनांक:-

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.14 (1) एफ.डी(नियम)/2013-11 दिनांक 28.06.2013 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये निम्नलिखित नर्स-2 जिन्होंने 18 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से निम्नानुसार एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. स.	कर्मचारी का नाम	संबंधित अधिकारी	प्रथम नियुक्ति तिथि व पद	वर्तमान नियुक्ति तिथि व पद	दिनांक व पूर्ण सेवावधि	देय पे बन्ड	देय पे ग्रेड
1	अन्जू छंगाणी, नर्स-2	जोधपुर	02.06.1999 प्रसाविका	27.03.2015 नर्स-2	02.06.2017 18 वर्ष	9300-34800	4800

नोट:- उक्त कार्मिका के यदि दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी सन्तान हुई है तो यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।

-sd-

(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 11-5-2018

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एसीपी/ए-36/2018/656

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 अधीक्षक, उम्मेद अस्पताल, जोधपुर।
- 2 सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 3 प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
- 4 आदेश/निजी पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर